

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 67/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/339

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थी:-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी  
मारवाड़ जंक्शन

1. अशोक कुमार पुत्र वासुमल निवासी  
919 हाई स्कूल के सामने मारवाड़  
जंक्शन हाल प्रोपराईटर फर्म मैसर्स  
श्री लक्ष्मी रेस्टोरेण्ट एवं स्वीट होम  
सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन।

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”  
उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक:- 23/12/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए.सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा 03 सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 26.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन हमराह श्री कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी एवं जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री लक्ष्मी रेस्टोरेण्ट एवं स्वीट होम सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन तहसील मा.ज. पर पहुंचे। मौके पर अशोक कुमार पुत्र वासुमल उपस्थित मिले जिन्होंने खुद को दुकान का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान गोविन्दराम पुत्र वासुमल निवासी 919, हाई स्कूल के सामने मा.ज. हाल मैनेजर श्री लक्ष्मी रेस्टोरेण्ट एवं स्वीट होम एवं श्री कन्हैयालाल पुत्र मुलाराम निवासी मा.ज. की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एच पी कम्पनी के पाये गये। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक



*(Signature)*

अति. जिला कलक्टर, पाली

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स मंगलम एचपी गैस एजेन्सी मा. ज. के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

## सारणी-1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	277299 P
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	128491 S
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.800	15.800	0.000	86988 P

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु घनश्याम पुत्र कानाराम निवासी चिरपटिया मा.ज. हाल कर्मचारी मैसर्स मंगलम एचपी गैस एजेन्सी मा.ज. को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मेरे प्रतिष्ठान से जब्त गैस सिलेण्डर उनके घरेलू गैस सिलेण्डर है जिसका उपयोग दुकान में नहीं किया जाता है, दुकान में उपयोग हेतु हमने पृथक से व्यवसायिक गैस कनेक्शन ले रखा है। हमारा प्रतिष्ठान एवं घर पास में ही होने से नवरात्री के त्यौहार में परिवार के सभी सदस्य दुकान में ही काम करते हैं, प्रतिष्ठान से जब्त गैस सिलेण्डर रिफिल हेतु दुकान में रखे हुये थे उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था लेकिन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण उक्त गैस सिलेण्डरों को वजह सबूत जब्त कर लिया गया। अतः अप्रार्थी के प्रति नम्र रुख अपनाते हुए कार्यवाही ड्रॉप करते हुए जब्त गैस सिलेण्डर दिलवाने का आदेश फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली



हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री लक्ष्मी रेस्टोरेण्ट एवं स्वीट होम सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान गोविन्द राम पुत्र वासुमल एवं कन्हैयालाल पुत्र मुलाराम निवासी मारवाड़ जंक्शन की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 03 एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स मंगलम एचपी गैस एजेन्सी मारवाड़ जंक्शन को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। साथ ही अप्रार्थी भी दौराने बहस यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 03 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

